an>

Title: Need to include the Thalassaemic patients in the list of differently-abled persons.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से आप सबका और सरकार का ध्यान "थैलासीमिया" नाम की बीमारी की ओर आकर्Âि◌ात करना चाहती हूं। यह बीमारी खून से सम्बन्धित बीमारी है, जिससे 4-15 प्रतिशत लोग ग्रसित हैं। इस बीमारी का मात्र एक ही इलाज है, जो बहुत दर्दनाक है, जिसे "चिलेसिन थेरेपी" का नाम दिया जाता है। बहुत सारी प्रजातियां, जैसे - लिंगायत, कछीज, सिन्धी, गौड़ा और बोकालिंगा, ये सब उसमें शामिल हैं। सरकार उनके लिए कई तरह के प्रावधान कर रही है। उनको नःशुल्क खून की सुविधा दी जा रही है। उसमें स्क्रीन करने की स्ट्रैटजी है, जिन लोगों को इस प्रकार की बीमारी है, उनको स्क्रीन किया जाए।

मैं आपके माध्यम से एक और बात सरकार की निगरानी में लाना चाहती हूं। जब इससे ग्रसित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए या पढ़ने-लिखने के लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, खासतौर पर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन डॉक्टर्स उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। साथ ही, इनको विकलांगता का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है जिसके कारण उनकी पढ़ाई और नौकरी में दुविधा होती है।

मेरी मांग है और मैं आग्रह करना चाहती हूं कि सरकार इस पर ध्यान दें, और वह कोशिश करे कि उनको विकलांग की कैटेगरी में डाल कर, चाहे उनको रिजर्वेशन न दे, लेकिन उनके लिए कैटेगरी कर दें, ताकि उनको सभी जगह सभी चीजों का लाभ मिल सके और उनका सामाजिक रूप से सुरक्षा हो सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.